छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 284/2007</u>

1.	**श्री संतोष पाण्डे,** **ग्राम+पोस्ट-मोहभट्ठा, थाना-साजा,** **जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	-	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1.	**जन सूचना अधिकारी,** **सरपंच, ग्राम पंचायत- मोहभट्ठा,** **जनपद पंचायत-बेरला** **जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	-	**प्रति अपीलार्थी**

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 28 सितंबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी संतोष पाण्डे द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को दिनांक 20.10.2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था तथा आवेदन के साथ गरीबी रेखा का कार्ड भी लगाया था । उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 22. 11.2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की थी, किन्तु वहॉं से भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण आयोग के समक्ष दिनांक 22.2.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, सरपंच, ग्राम पंचायत, मोहभट्ठा को राशि 25 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रकरण में प्रारंभ से अंत तक प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताया गया है । अतः यह प्रकरण संचालक, पंचायत के ध्यान में लाया जाता है कि उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपच पंचायत, बेरला से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावे । प्रकरण में यद्यपि आवेदन सचिव को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु जन सूचना अधिकारी उस समय सरपंच थे, किन्तु उक्त आवेदन सचिव के द्वारा विधिवत सरपंच को भेजा जाना चाहिए था और आयोग की मान्यता है कि सचिव द्वारा आवेदन सरपंच को भेजा गया होगा, किन्तु सरपंच ने भी कारण बताओ सूचना

पत्र का उत्तर उपस्थित होकर अपनी ओर से कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया है । अतः एक तरफा कार्यवाही की जाकर

अपीलार्थी की अंतिम सुनवाई की गई । प्रकरण में इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदन सीधे सरपंच को प्रस्तुत नहीं हुआ था, अतः प्रकरण में कुछ उदार रूख अपनाते हुए अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत सरपंच के विरूद्ध राशि 5000/- रूपये अर्थदण्ड आरोपित की जाती है । साथ ही प्रकरण में अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को अनुशंसा भेजने के निर्देश भी दिये जाते हैं । साथ ही वर्तमान जन सूचना अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अब चाही गई समस्त जानकारी अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान करे । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 200/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त